www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 21.04.2017

सीबीआई ने 58.04 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पर तत्कालीन ए.जी.एम. एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया एवं तलाशी ली

सीबीआई ने मिड-कार्पोरेट शाखा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पुणे में कार्यरत तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक (अब सेवानिवृत्त) ; तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक; पुणे की तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबन्ध न्यासी ; पुणे की उक्त तकनीकी शिक्षा सोसाइटी एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप था कि मिड-कार्पोरेट शाखा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पुणे के तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक एवं तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक वर्ष 2011-12 के दौरान पुणे की तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबन्ध न्यासी अपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए तथा इसके अनुसरण में, उक्त मुख्य प्रबन्ध न्यासी ने 30 करोड. रू. का नवीन सावधि ऋण एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक व कैनरा बैंक के मौजूद सावधि ऋणों के भार को अधिग्रहण करने सहित 81.30 करोड. रू. की राशि की विभिन्न वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मिड-कार्पोरेट शाखा, एम.जी.रोड, पुणे के सहायक महाप्रबन्धक के पास आवेदन किया। आवेदन के साथ जमा की गई प्रोजेक्ट रिर्पोट में, मुख्य प्रबन्ध न्यासी ने कपटपूर्ण तरीके से झूठी सूचना दी कि नरहे, पुणे में डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल भवन के निर्माण सहित उनकी सोसाइटी के विभिन्न परिसरों में सामग्रीयों की

आपूर्ति तथा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ऋण राशि की आवश्यकता होगी। ऐसा आगे आरोप था कि सहायक महाप्रबन्धक ने नियत प्रक्रिया के पालन के बिना ही उक्त अध्यक्ष व मुख्य प्रबन्ध न्यासी के ऋण प्रस्ताव की संस्तुति दी और सहायक महाप्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के न्यास की प्रबन्ध समिति ने 75.01 करोड़ रू. की धनराशि (60 करोड़ रू. नवीन सावधि ऋण के तौर पर + कैनरा बैंक के ऋण को अधिग्रहण करने के लिए 13.01 करोड़ रू. + पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के ऋण को अधिग्रहण करने के लिए दो करोड़ रू.) पास कर दी। ऐसा भी आरोप था कि मंजूर की गई सुविधाओं को नियत प्रक्रिया के अनुसरण व इसके अन्तिम प्रयोग को सुनिश्चित किए बिना ही सहायक महाप्रबन्धक द्वारा उधारकर्ता को प्रदान कर दिया गया। उधारकर्ताओं ने ऋण धनराशि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नही किया जिसके लिए उसका भुगतान हुआ तथा उक्त धनराशि को नियत मद में न लगाकर अन्य मद में लगाया। ऐसा भी आरोप था कि भुगतान धनराशि के प्रयोग के सन्दर्भ में, आर्कीटेक्ट के प्रमाण पत्र, जिसमें नरहे परिसर में डेन्टल कालेज एवं अस्पताल भवन के निर्माण पर खर्च किए गए 21.20 करोड़ रू. (लगभग) का खर्च गलत तरीके से दर्शाया गया था जबकि वहाँ इस तरह का डेन्टल कालेज व अस्पताल का निर्माण नही हुआ था, सहित जाली दस्तावजों को सोसाइटी ने बैंकों को जमा किया। बैंक अधिकारियों ने तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति कि सभी निर्माण कार्य, जिसके लिए बैंक के द्वारा वित्तीय सुविधाएं दी गई थी, सोसाइटी के द्वारा पूरा कर लिया गया है, के द्वारा उधारकर्ताओं का पक्ष लिया। बैंक अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित नही किया कि बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सुविधाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिभूतियाँ हों। सोसाइटी का अध्यक्ष जानबूझ कर दिवालिया हो गया तथा उक्त आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की ऋण धनराशि का पुर्नभुगतान नही किया, जिसके परिणाम स्वरूप गैर निष्पादित खाता घोषित हुआ। बैंक को 58.04 करोड़ रू. तक के साथ ही उस धनराशि पर ब्याज की कथित हानि हुई।

मुम्बई व नासिक स्थित बैंक अधिकारियों के आवासीय परिसरों तथा पुणे स्थित अन्य आरोपी के आवासीय परिसरों में आज तलाशी की जा रही है।

आगे की जॉंच जारी है।

****